

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)
(प्ररूप 21ग)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा


नगर 071 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री वाजिब अली
468, फकीराज मौहल्ला, सीकरी पट्टी, सीकरी आंशिक-4, नगर जिला भरतपुर जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा खडा किया गया।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचन हो गये है।

स्थान :- एम0एस0जे कॉलेज , भरतपुर
तारीख :- 11.12.2018


राजवीर सिंह यादव
निर्वाचन अधिकारी एस०डी०एम०
विधान सभा क्षेत्र नगर (071)

**Conduct of Election Rules, 1961
(Statutory Rules and order)
[Form 21C]
(see rule 64)**

(For use in general election when sheet is contested)


Declaration of the result of election under section 66 of the Representation of the people act 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from NAGAR 071
(General) Assembly constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

**Shri Wajib Ali of 468, Fakiraj Mohalla, Sikri Patti, anshik- 4, Nagar
(Bharatpur) sponsored by Bahujan Samaj Party has been duly elected to fill
the seat in that House from the above constituency**

Place : M.S.J College Bharatpur(RAJ.)
Date : 11-12-2018


(Rajvir Singh राजवीर सिंह यादव)
Returning Officer (एस०डी०एम०)
Sub Divisional Officer and Subdivisional Magistrate
071 Nagar Assembly constituency